

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नवान जोरा बनाम पोखर वझे

कसम मुकदमा नं. 40 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
------------	--------------------------------------	--

२२ ०२ / १७





पकील प्रार्थी श्री रामावतार विजयरावियाँ ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना - पत्र ली आर्डर पेश किया। प्रार्थना - पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। स्थगन पर बहुत पकील शर्की एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्ष को अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्ष को आगामी तारीख पेशी तक जरिफ अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी खण्ड नं. 108 से 110, 328 एवं खण्ड 246, 247, 249, 326 व 327 की भूमि का विशिष्ट भू-भाग के रूप में पक्षकारान विक्रम न करें। अग्राणीगण को उक्त आदेश उल्लेखित करते हुए सम्मन जारी होकर पत्रावली प्रेषित

२१-५-२०१७ को पेश हो।

२१ ५ / १७

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीतारीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में वरत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4.5.2017 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
19 $\frac{5}{17}$	पत्रावली पेश हुई। मकुलाय फरिक्न उप./अनुपस्थित। पीटारीन अधिकारी कोरे /अन्य कारं में वरत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक. 1-12-18 को पेश हो। 
1 $\frac{12}{17}$	पत्रावली पेश हुई। मकुलाय फरिक्न उप./अनुपस्थित। पीटारीन अधिकारी कोरे /अन्य कारं में वरत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक. 28-2-18 को पेश हो। 
20 $\frac{2}{18}$	पत्रावली पेश हुई। मकुलाय फरिक्न उप./अनुपस्थित। पीटारीन अधिकारी कोरे /अन्य कारं में वरत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक. 20-3-18 को पेश हो। 
20 $\frac{3}{18}$	पत्रावली पेश हुई। मकुलाय फरिक्न उप./अनुपस्थित। पीटारीन अधिकारी कोरे /अन्य कारं में वरत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक. 16-3-18 को पेश हो। 
15 $\frac{05}{18}$	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अप्रिपतः न्याय आपके द्वार - 2018 के तहत अदल सेवा केन्द्र गृहण में नियत तारीख से पूर्व पेश हुई। शं. जर्जना फा. टी. आई. से संबंधित मूल वादपत्र विद्रा किया जा चुका है अतः श. फा. टी. आई. में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही प्रणालि हली हतर पर ड्रॉप किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से काम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफतर से निर्गमि प्रजेमें आज सुनाय गया। 